राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1400/2024

डॉ. बद्रीनारायण मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राजीव भट्ट, वर्तमान में अपीलार्थी के स्थान पर उप निदेशक आयुर्वेद, उदयपुर पदस्थापित।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.03.2024
आदेश की दिनांक : 03.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ग्रेड प्रथम के पद पर उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, उदयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय निम्बाहेडा, चित्तौडगढ़ किया गया है और आदेश दिनांक 23.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया है। अपीलार्थी ने स्थानान्तरण से संबंधित अपनी परेशानियों का उल्लेख करते हुये विभाग को अभ्यावेदन दिया, परंतु कोई विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में कार्यरत है और उसका स्थानान्तरण एक वर्ष से भी कम अल्पावधि में स्थानान्तरण किया गया है तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपीलार्थी के स्थान

पर समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 23.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ग्रेड प्रथम के पद पर उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, उदयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय निम्बाहेडा, चित्तौडगढ़ किया गया है। जहां तक अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक वर्ष से भी कम अल्पावधि में किये जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ग्रेड प्रथम के पद पर कार्यरत है और उसका स्थानान्तरण राज्य हित को देखते हुये प्रशासनिक आधार पर किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण पूरे एक साल बाद किया गया है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें कहां पर ली जानी है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य/तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट हो कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को उसके स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है। इस प्रकार हम अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल नहीं पाते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य